



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | EAST CHAMPARAN
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र



सेवा में

आधिकारी / दस्तावेज़ / प्रबंधक

EMMANUEL SCHOOL, RULAH

MAZHAR, MOTIHARI

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोगालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्तीकृति का प्रमाण पत्र।

महावाय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक, 04-10-2021 और उसके काम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए नियमावली एवं जिला स्तरीय विद्यालय समिति के बैठक दिनांक : 13-01-2023 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय EMMANUEL SCHOOL, RULAH, MAZHAR, MOTIHARI को कामा 1 से 3 तक संचालन हेतु तीन वर्ष 13-01-2023 से 13-1-2026 अवधि के लिए औपचारिक प्रस्तीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्तीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रस्तीकृति किसी भी परिस्थिति में काहा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पांडीस के कमज़ोर दर्दी एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा। परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्वी प्रारंभिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्वी प्रारंभिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कठिका 3 में उपर्युक्त बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिशूलि की जाएगी। प्रतिशूलि की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचारण करेगा।
5. जोसाइटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैफियेतन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्कॉलिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान और कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इकाई नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न जारी सुनिश्चित किए जाएंगे :
 - (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्काशित किया जाएगा।
 - (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक टंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से घटाड़ित नहीं किया जाएगा।
 - (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोई परीक्षा/पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
 - (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 से उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।

Principal
Emmanual School
Sirsa Mal (Rulahi) Motihari
East Champaran-845401

(VII) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(VIII) शिक्षकों की नियोजन अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपालन नहीं होगे।

8. विद्यालय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपालन नहीं होगे।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्दृत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम नियमावली के भवान उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः

Manager
Emmanuel School
Sirsa Mal (Rulahi) Motihari
East Champaran-845401

- (i) विद्यालय परिसर क क्षेत्रफल :- 13600SQ डिसमिन
- (ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 13600SQ डिसमिन
- (iii) छाल के मैदान क क्षेत्र :- CHHAPAKAL, TOILET, NAL, BATHROOM, CCTV CAMERA ETC.
- (iv) वर्ग कक्षों की कुल संख्या :- 47
- (v) प्रधानाध्यापक-सह वार्षिक राह-मंडर कक्ष :- 2
- (vi) बालक तथा सालिकों के लिये भवग-अलग शीघ्रतय :- Indian , Boys :- 4 , Girls 5
- (vii) प्रेयजल की सुविधा :- 9
- (viii) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 0
- (ix) बाधारहित पहुँच, :-
- (x) शिक्षण अधिगम समग्री/ ढोन-कुट उपकरण/ पुस्तकालय :- WHITE BOARD, GREEN BOARD, SMART BOARD, GLOBE, ATLAS, INDIAN, ETC , CRICKET PRACTICE KIT, LUDO, BADMINTON, CAROM BOARD, CHESS, HOKEY, ETC , (Y , 990 , NewsPaper Magazine:- 4)

11. कोई भी अपमौजूद वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्वाचित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में जागू कानून के तहत गठित किसी प्रौद्योगिकी द्वारा विद्यालय से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, राज्य अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकोक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आनोखे में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्तीकृति कोड संख्या [20410412021104160130, 2021] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राभार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्दृढ़ किया जाए।
17. ग्रन्देशक, प्राधानिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समाय "गांग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्तीकृति बीं शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय सचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु शमय-समय पर निर्गत अनुदर्शी का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाइटी के निर्वाचन के बाबूकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नक III के स्पष्ट में संलग्न अन्य शर्त

NO-C LETTER

जिला कार्यालय पदाधिकारी
पा० शि० एवं स० शि० अधि०
पूरी वर्धारण

जिला शिक्षा पदाधिकारी, EAST CHAMPAKARAN
शिक्षा विभाग , बिहार सरकार

Principal

Emmanual School
Sirsa Mal (Rulahi) Motihari
East Champaran-845401

Manager

Emmanuel School
Sirsa Mal (Rulahi) Motihari
East Champaran-845401